संख्या-23/2024/I/778460/2024/एस-206/38-2-2024-001-38-2002-001-6-2023

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 23 अक्टूबर, 2024

विषय:-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अधीनस्थ 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब स्थापित किये जाने हेतु **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-760/भा0स0/अनावर्तक/के0/अनु0/2022-23, दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में नयी मांग के रूप में दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अधीनस्थ 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब स्थापित किये जाने हेतु (श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड, गाजियाबाद उ0प्र0) आंकलित लागत रू0 736.00 लाख **(रूपये सात करोड़ छत्तीस लाख मात्र)** के आगणन प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-06 **17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों की स्थापना-24 वृहद् निर्माण कार्य हेतु** रू0 736.00 लाख **(रुपये सात करोड़ छत्तीस लाख मात्र) की प्राविधानित धनराशि को वित्त की सहमति से पुनर्विनियोग के माध्यम से इसी लेखाशीर्षक के मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में धनराशि** रू0 736.00 लाख **(रुपये सात करोड़ छत्तीस लाख मात्र) का प्राविधान किया गया है। (बी0एम0-9 प्रपत्र संलग्न है)**

2- अतः इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अधीनस्थ 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु धनराशि रू0 736.00 लाख **(रूपये सात करोड़ छत्तीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 736.00 लाख **(रूपये सात करोड़ छत्तीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब स्थापित किये जाने में समाग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के माध्यम से एल0-1 कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए कराया जायेगा तथा इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) आंकड़ो की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि धनराशि स्वीकृत कर सीधे संबंधित विभाग/संस्था के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

(6) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रूप में उपलब्ध हो। तदोपरांत भी अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(8) प्रस्तावित प्रायोजना को नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(13) धनराशि के आहरण के संबंध में मित्तव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(15) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(16) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(17) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन किया जाय।

(18) कार्यालय-ज्ञाप दिनांक दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं इस शासनादेश का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(19) स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय।

(20) उक्त कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समय सारिणी/समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(22) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) परियोजना में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम -04/2017, दिनांक 21-06-2017 में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में प्रावधानित जी0एस0टी0 का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(25) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ/कार्यदायी संस्था का होगा।

(26) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,36,00,000 (रुपये सात करोड़ छत्तीस लाख मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 4059010510600 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना **मानक मद** 26- मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **आर.ई.संख्या–बजट-1-58, दिनाँक 10.09.2024** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2024/I/778460/2024/एस-**206** 38-2-2024-001-38-2002-001-6-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- जिलाधिकारी, लखनऊ।

5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ।

6- कोषाधिकारी, लखनऊ।

7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2

9- ग्राम्य विकास अनुभाग-6

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
उमाकान्त सिंह
उप सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20242025-38-2002-001-6-2023

विषय.- लेखाशीर्षक 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-06-17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना-24 वृहत्त निर्माण कार्य में परिव्ययित धनराशि रु0 736.00 लाख का इसी लेखाशीर्षक के मानक मद 26 मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में पुनर्विनियोग के संबंध में

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	4059010510600 (17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	7,36,00,000 रुपये सात करोड़ छतीस लाख मात्र	7,36,00,000 रुपये सात करोड़ छतीस लाख मात्र	-7,36,00,000 रुपये सात करोड़ छतीस लाख मात्र ।	73600000	73600000 0.00	2024-2025

ह०

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के	संक्रमण हेतु	वित्त विभाग द्वारा	संक्रमण के	वित्तीय

[redacted]

संख्या			लिए उपलब्ध / विनियोग	प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वर्ष
013	4059010510600 (17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना)	26 (मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र)	0 शून्य	7,36,00,000 रुपये सात करोड़ छत्तीस लाख मात्र	73600000	73600000	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. मानक मद 24-वृहत्त निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि से कम्प्यूटर लैब की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।
2. मानक मद 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र से कम्प्यूटर लैब की स्थापना की जानी है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 155 में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई- -2024-25, दिनांक- जुलाई, 2024
आर.ई.संख्या-बजट-1-58, दि०-10.09.2024

भवदीय

महालेखाकार (लेखा एव हकदारी) प्रथम,
उ०प्र०, प्रयागराज।

([illegible])
संयुक्त सचिव

(मंजीत सिंह)
अनु सचिव

Signed by
Manjeet Singh
Date: 06-09-2024 17:31:43

[redacted]

38-2002(001)/6/2023-ग्राम्य विकास अनुभाग-2-ग्राम्य विकास विभाग
संख्या दिनांक- जुलाई, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री राजेन्द्र राम, उप सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकीय, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2

आज्ञा से
(प्रहलाद पासवान)
संयुक्त सचिव